

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं० - 9/आ०-13-03/2016 दिनांक- डा० संजीव कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, मुरलीगंज, मधेपुरा के विरुद्ध राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना से प्राप्त 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24x7 सेवारत रहने की औचक जाँच रात्रि में दूरभाष के माध्यम से की गई, तथा आप अनुपस्थित पाये गए तथा पूछे गये स्पष्टीकरण पर राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुशंसा के आधार पर आपका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

(क) चेतावनी

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

डा० संजीव कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरलीगंज मधेपुरा का पूर्णविचार अभ्यावेदन उचित माध्यम से प्राप्त हुआ है। समीक्षोपरांत डा० कुमार से प्राप्त पूर्णविचार अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः डा० कुमार पूर्णविचार अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/—

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,
स्वा० विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 80(9)

/स्वा०, पटना, दिनांक: 18/01/2017

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— क्षेत्रीय अपर- निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा/सिविल सर्जन, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,8,10,11,12 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डा० संजीव कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, मुरलीगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

नागेन्द्र प्रसाद
18-1-17
सरकार के अवर सचिव